संख्या– / XX–4 / 2019–44(कारा0) / 2017

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

विषय– **कारागारों में बन्दियों को टेलीफोन की सुविधा (Prison inmate calling system) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया, उत्तराखण्ड राज्य की कारागारों में बन्दियों को टेलीफोन की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–176 / 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 03–12–2019 को सम्पन्न बैठक में व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की सभी कारागारों में बन्दियों को भारत संचार निगम लि0 (BSNL) के माध्यम से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत् प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. राज्य की सभी कारागारों में उपरोक्त सुविधा के कियान्वयन हेतु जेल मैनुअल / जेल सुरक्षा, गोपनीयता को विशेष ध्यान में रखते हुये मानकानुसार (Standard) एस0ओ0पी0 तैयार कर तद्नुरूप नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उक्तानुसार कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या– 1122 / XX–4 / 2019–44(कारा0) / 2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ परिक्षेत्र, पौड़ी / नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कारागार अधीक्षक / कारागार अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पंथरी)
अपर सचिव।